## HRAA AN UNIVERSALE OF ANDREW SHIERTON

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1617] No. 1617] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2008/कार्तिक 27, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2008/KARTIKA 27, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2008

का.आ, 2678(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, 18 नवम्बर, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 16 से 18 (जिसमें दोनों सिम्मिलित हैं), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92 और 93 के उपबन्ध लागू होंगे।

[फा. सं. पी. 15017/1/2008-पी एच (फूड)/डी एफ क्यू सी] देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2008

S.O. 2678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 18th day of November, 2008, as the day on which the provisions of Sections 16 to 18 (both inclusive), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92 and 93 of the said Act shall come into force.

[F. No. P. 15017/1/2008-PH (F)/DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.